न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00572

भैरूलाल आत्मज श्री कन्हैया लाल उम्र 55 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. भोलूराम आत्मज भवाना ।
2. कालूराम आत्मज भवाना जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खजूरी तहसील सांगोद में खाता संख्या नया 230 के खसरा नम्बर 544 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 652 की 0.05 हैकटर, खसरा नम्बर 653 की 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 851 की 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.01 व खसरा नम्बर 1724 की 0.12 हैक्टर कुल 09 किता की कुल रकबा 1.61 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । वादीगण की खसरा नम्बर 850 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 851 की रकबा 0.80 हैक्टर भूमि प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 844 एवं 849 के पास स्थित है तथा अन्य आराजीयात से अलग स्थित है जिसे प्रतिवादी द्वारा जबरन काश्त करने का प्रयास किया जाता है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 850 एवं 851 की आराजी पर

वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । वादीगण को उक्त भूमि पर उनके शांन्तिपूर्वक काश्त व उपयोग–उपभोग करने दें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.05.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए वाद डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय को जवाबदावा प्राप्त करने के बाद कायमी तनकीयात में रखनी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना गैर कानूनी रूप से, सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 17.05.2016 की तारीख पेशी नियत कर बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट द्वारा पत्रावली तलाश करने के बाद आगे की तारीख पेशी नहीं मिलने पर दिनांक 01.11.2016 को पत्रावली को न्यायालय के कार्यालय में ढूढवाया तब उसे उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 02.11.2016 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और 08.11.2016 को नोटबंन्दी हो गई जिससे वह पैसों का इंतजाम नहीं कर सका था । पैसों का इंतजाम होने के बाद अविलम्ब यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वादा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसमें जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था । दिनांक 17.12.2015 से 31.03.2016 की तारीख पेशी नियत की गई और दिनांक 31.03.2016 को पत्रावली नहीं निकली और जनरल तारीख दिनांक 26.05.2016 दी गई परन्तु उससे पूर्व ही

बिना अपीलान्ट को सूचित किये पत्रावली को दिनांक 17.05.2016 को सुनवाई करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । तनकीयात कायम नहीं की हैं, साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.12.2015 के अनुसार आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.03.2016 की नियत की गई । दिनांक 31.03.2016 की कोई आदेशिका पत्रावली में अंकित नहीं है और दिनांक 17.05.2016 को लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में पक्षकारों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली में जवाबदावा पेश हो चुका है । जवाबदावा प्राप्त होने उपरान्त विधिक रूप से तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.09.2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा